न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2011/00041

हीरालाल भंसाली आत्मज श्री चम्पालाल जाति महाजन आयु 66 वर्ष निवासी सेठ बुद्धसिंह जी बापना की हवेली बजाजखाना, कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

गौतम चन्द भण्डारी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. श्रीमती राजुल भण्डारी पत्नी स्व0 श्री गौतमचन्द भण्डारी निवासी 397–3 सी सरदारपुरा, जोधपुर (नाम तर्क) ।
2. नरेन्द्र भण्डारी पुत्र स्व0 गौतम भण्डारी निवासी पीआरएल डायरेक्टर बंगलो, अहमदाबाद (गुजरात) ।
3. रमेन्द्र भण्डारी पुत्र स्व0 गौतमचन्द भण्डारी निवासी 397– 3सी सरदारपुरा, जोधपुर।
4. प्रभा भण्डारी पुत्री स्व0 गौतमचन्द भण्डारी निवासी 393 –3 सी सरदारपुरा, जोधपुर
5. अरूण भण्डारी पुत्र स्व0 गौतमचन्द भण्डारी निवीस जे0के0 कॉलोनी, कोटा ।
6. जितेन्द्र भण्डारी पुत्र स्व0 गौतमचन्द भण्डारी निवासी महावीर मिशन हॉस्पीटल बून्दी रोड, कोटा ।
7. राजेश भंण्डारी पुत्र हीरालाल भंसाली निवासी सेठ बुद्धसिंह जी बापना की हवेली, बजाजखाना, कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगाय 4 की ओर से
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 06 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2007 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 03 के संयुक्त खातेदारी में कुल 05 किता की 3.03 हैक्टर भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी का संयुक्त खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । दिनांक 26.04.1991 को प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 ने वादीगण की संयुक्त खातेदारी की खसरा नम्बर 84 की भूमि में निर्माण करने हेतु नीवें खोदना शुरू कर दिया तथा निर्माण हेतु चूना पत्थर इकट्ठा कर लिया । वादी क्रम 05 ने प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि उन्होंने 40 इन टू 70 फीट का एक भूखण्ड वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी क्रम 03 से क्रय किया है और क्रय करने के इकरार के आधार पर ही वे निर्माण कार्य करना चाहते हैं । प्रतिवादीगण को वादीगण की संयुक्त खाते की कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही प्रतिवादी क्रम 03 को संयुक्त खाते की आराजी को किसी प्रकार विक्रय करने का अधिकार है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण, वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे और खसरा नम्बर 84 की कृषि भूमि पर आकर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ही करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करके वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2007 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2007 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 1, 2 व 3 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध प्रदान किया है इसके बावजूद भी वादीगण का दावा खारिज नहीं किया जबकि तनकी नं0 01 से 3 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किये जाने के कारण वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 5, 6 व 7 का निर्णय नहीं किया है जो कानूनन आवश्यक था इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । प्रस्तुत वाद में अंकित वादकारण के दिनांक को तो प्रतिवादी क्रम 01 कोटा में नहीं था । झूठा वादकारण अंकित किया जाना वादी के बयानों से ही सिद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट वादीगण का दावा प्रतिवादी अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट क्रम 07 के खिलाफ डिक्री करने में त्रुटि की है । तनकी नम्बर 1, 2 व 3 का निर्णय वादीगण के खिलाफ प्रदान किया है इसके बावजूद दावा खारिज नहीं किया है । तनकी नम्बर 5, 6 व 7 का निर्णय नहीं किया गया है जो कि कानूनन आवश्यक है । अपीलान्ट की लिखित बहस पर मनन नहीं किया है और न ही नजीरों को पढने का प्रयास किया गया है । दावे में वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 03 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 से मिला हुआ होना अंकित किया है परन्तु वास्तव में प्रतिवादी क्रम 03 और वादी मिल हुए हैं । प्रतिवादी क्रम 03 के द्वारा अपनी लिखित बहस में दावा डिक्री किये जाने में अनापत्ति होना अंकित किया गया है । प्रतिवादी क्रम 03 ने जवाबदावा भी पेश नहीं किया है । दावे में अंकित वादकारण के दिनांक को प्रतिवादी क्रम 01 कोटा में नहीं था । वादकारण के अभाव में दावा निरस्त होने योग्य था । वादीगण ने समस्त कार्यवाहियों के लिए प्रतिवादी क्रम 03 को अधिकृत किया था । वादी राजुल भण्डारी और प्रभा भण्डारी ने प्रतिवादी क्रम 3 के पक्ष में मुख्तारनामा भी निष्पादित किया था । वादीगण ने संयुक्त खाते की आराजी बताकर खसरा नम्बर 84 के बारे में सहायता मांगी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य खसरा नम्बर के बाबत् निषेधाज्ञा जारी की । सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.10.2003 भी पेश किया गया था परन्तु उसका उल्लेख नहीं किया गया है । खसरा नम्बर 89/5 कोई खसरा नम्बर नहीं है । वादीगण ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था। जितेन्द्र भण्डारी के द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से आराजी के विक्रय के लिए पब्लिक नोटिस जारी किये हैं । अन्य सहखातेदारों ने इस बाबत् कोई आपत्ति नहीं की है । अपीलान्ट का निर्माण कार्य दिनांक 25.04.1991 को पूरा हो गया था । आदेश 14 नियम 02 सीपीसी के अनुसार प्रत्येक तनकी का विश्लेषण कर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । इसी आराजी के बाबत् एक दावा विभाजन का सहायक जिलाधीश में पेश किया था जिसमें दिनांक 17.12.1987 को डिक्री पारित की गई थी । दिनांक 25.01.1988 को पटवार मण्डल सकतपुरा ने खसरा नम्बर 84 के 06 भाग कर सहखातेदारों का अलग–अलग भू–आराजी पर मौका नक्शा बनाकर नाम अंकित कर दिया । अंतिम डिक्री दिनांक 06.01.1990 को पारित की गई । पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी समाप्त हो गयी थी । सहखातेदारों ने अपने–अपने हिस्से में आई आराजी के लिए आराजी की शामलाती आवासीय कॉलोनी सन् 1989 में केनाल व्यू एनक्लेव के नाम से बनायी । आवासीय कॉलोनी आज भी अस्तित्व में है । दिनांक 13.06.1989 को 84/6 आराजियात के भूखण्ड संख्या 85 में समस्त राशि प्राप्त कर इकरारनामा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया जिस पर दिनांक 13.06.1989 से अपीलान्ट काबिज है । उसके उपरान्त धारा 188 का दावा पेश किया है । केनाल व्यू कॉलोनी के साइड प्लान को निरस्त करने के लिए कोई दावा पेश नहीं किया गया है । वादीगण ने न्यायालय में यह बयान किया है कि भूमियों की व्यवस्था जितेन्द्र भण्डारी के साथ अरूण भण्डारी करता था । वादी क्रम 03 रमेश चन्द भण्डारी ने किसी भी न्यायालय में बयान नहीं कराये हैं । प्रतिवादी क्रम 01 दिनांक 27.04.1991 को लक्ष्मी यात्रा कम्पनी नयापुरा से टिकिट सनम्बर 5111 से जयपुर जाने हेतु सीट रिजर्व करवा कर जयपुर गया था और वहॉ से सुजानगढ चला गया था और वहॉ इलाज करवाया था । दिनांक 25.04.1991 से पूर्व बाउण्ड्रीबाल का निर्माण पूरा हो चुका था । खसरा नम्बर 84 के संयुक्त खाते का अस्तित्व बंटवारे के बाद समाप्त हो गया था । सहायक जिलाधीश कोटा में दर्ज वाद संख्या 185/91 की ऑर्डर शीट ए–20 के रूप में प्रस्तुत है । अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ कुछ दस्तावेजात भी पेश किये हैं जो

प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2007 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 523, आरआरडी 1990 पेज 364, डीएनजे 2009 (एससी) पेज 1069, एसएआर सिविल 2003 पेज 522 उद्धरत की ।

9. अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्जावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्जावेजात में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम 03 उत्तर, कोटा के निर्णय दिनांक 31.10.2003 की प्रमाणित प्रति है जिसमें दावा अपीलान्ट हीरा लाल भंसाली के द्वारा जितेन्द्र भण्डारी के खिलाफ किया गया है जिसमें प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वादी के भूखण्ड संख्या 85 के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे । इसके अलावा अपर जिला न्यायाधीश क्रम 05 के ओदश दिनांक 20.06.2019, 20.07.2019 एवं 22.07.2019 की प्रमाणित प्रतियॉ भी पेश की गई हैं एवं अपर न्यायाधीश क्रम 05 के आदेश दिनांक 09.08.2019 की प्रमाणित प्रति भी पेश की गई है जिसमें डॉ0 जितेन्द्र भण्डारी की अपील खारिज की गई है । दिनांक 09.08.2019 की ए0डी0जे0 की डिक्री की प्रमाणित प्रति भी पेश की गई है । दिनांक 25.03.2016 के अपर जिला न्यायाधीश क्रम –1 के निर्णय दिनांक 25.03.2016 की प्रमाणित प्रति भी पेश की गई है । इस निर्णय में जितेन्द्र भण्डारी का दावा बाबत् द्वेषतापूर्ण अभियोजन खारिज किया गया है । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों की प्रमाणित प्रतियॉ है और प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. इसी प्रकार 02 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी रेस्पोडेन्ट क्रम 06 के द्वारा भी पेश किये गये हैं । दिनांक 10.11.2020 को रेस्पोडेन्ट क्रम 06 के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय दिनांक 28.02.2019 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसमें अपीलान्ट हीरालाल भंसारी एवं राजेश भण्डारी को धारा 420, 467, 468, 471 और 120 आईपीसी के तहत दोष सिद्ध करार किया गया है और दण्डित किया गया है ।

11. इस प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया है और यह कथन किया है कि निर्णय पर स्थगन आदेश सेशन न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति भी पेश की गई है ।

12. एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2021 को रेस्पोडेन्ट क्रम 06 ने पेश किया है । इस प्रार्थना पत्र के साथ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश की आदेशिका दिनांक 29.04.2001 से 13.01.2021 अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश में पेश किये गये दावा संख्या 255/2001 जो कि विक्रय पत्र को निरस्त करने एवं घोषणा के लिए जितेन्द्र भण्डारी के द्वारा पेश किया गया है की प्रमाणित प्रति एवं आदेशिका दिनांक 01.08.2020 से दिनाक 13.01.2020 दावा संख्या 54/2002 हीरा लाल भंसाली बनाम जितेन्द्र भण्डारी, हीरालाल भंसाली के द्वारा जितेन्द्र भण्डारी के खिलाफ पेश किये गये स्पेसिफिक परफोरमेन्स के दावे की प्रमाणित प्रति है । इन दोनों प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्न दस्जावेजात न्यायालय में पेश किये गये दावे एवं उनकी आदेशिकाओं की

प्रमाणित प्रतियॉ हैं और प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः दोनों प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. रेस्पोडेन्ट क्रम 06 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परीक्षण न्यायालय में पेश कर यह कथन किया गया था कि पक्षकारान के संयुक्त खाते में खसरा नम्बर 78 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 84 रकबा 2.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 284/442 रकबा 0.01 हैक्टर कुल 05 किता की 3.03 हैक्टर आराजी स्थित है । आराजी का विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 वादीगण के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 84 में निर्माण करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की और वादीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया है और प्रतिवादी अपीलान्टगण की कयशुदा आराजी जिसका सहवन नम्बर 89/5 अंकित हो गया था जबकि वह खसरा नम्बर 84/5 है, उसकी 250 वर्गमीटर भूमि को छोडते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने एक तरफ फर्जकारी करते हुए मुख्तारनामे में अंकित खसरा नम्बर को परिवर्तित किया है और मुख्तारनामा निरस्त हो जाने के बावजूद अवैध रूप से अपने नाम मुख्तारनामे के आधार पर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया है और दूसरी तरफ स्पेसिफिक परफोरमेन्स का दावा पेश किया है जो जैरकार है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिए भी दावा पेश किया गया है जो जैरकार है । अपीलान्ट को उनके द्वारा की गई फर्जकारी के बाबत् पेश किये गये आपराधिक मामले में दण्डित किया जा चुका है । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण की ओर से नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 पेश की गई है जिसमें वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्श– ए–7 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है । प्रदर्श–ए–8 107, 116 का इस्तगासा है । प्रदर्श–ए–1 इकरारनामा है जो जितेन्द्र भण्डारी के द्वारा हीरालाल भंसाली के साथ किया गया था । प्रदर्श–ए–1–3 हीरालाल भंसाली के द्वारा जितेन्द्र भण्डारी के खिलाफ पेश किये गये स्थायी निषेधाज्ञा के दावे की प्रमाणित प्रति है । प्रदर्श–ए–4 मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रति है जिसमें आराजी का खसरा नम्बर 84/6 अंकित किया गया है । प्रदर्श–ए–6 जितेन्द्र भण्डारी के द्वारा हीरालाल भंसाली को प्रेषित नोटिस की प्रति है जिसमें यह कथन किया गया है कि अन्य सहखातेदार विक्रय से सहमत नहीं हैं ऐसी स्थिति में विक्रय के पेटे दी गयी राशि को वापस प्राप्त कर लेवें । प्रदर्श–ए–5 हीरालाल भंसाली के द्वारा जो नोटिस दिये गये हैं उसकी प्रति है । प्रदर्श– ए–8 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति है । प्रदर्श– ए–9 न्यायालय में पेश की गई चार्जशीट है। जितेन्द्र भण्डारी के द्वारा पारिवारिक विभाजन के फलस्वरूप हीरालाल भंसाली के साथ जो विक्रय का इकरार किया था उसमें अनुमानित रूप से अपने हिस्से में आने वाली आराजी का खसरा नम्बर 84/6 अंकित कर दिया था और उसका नम्बर बंटवारे के उपरान्त 84/5 था । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से उसको खसरा नम्बर 89/5 अंकित कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2007 बहाल रखा जावे ।

14. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड को छोडकर शेष आराजी के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो विधि सम्मत है । त्रुटिपूर्ण रूप से उसका खसरा नम्बर गलत अंकित हो गया है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की थी । रेस्पोडेन्ट कोटा में नहीं रहते हैं इसलिए विज्ञापन का विरोध उनके द्वारा नहीं किया गया । आराजी संयुक्त खाते की थी बंटवारे की कोई नकल वादीगण के पास नहीं थी । इस कारण उनके द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया । वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 03 से किसी प्रकार की मिली भगत नहीं की है वरन् आराजी के संयुक्त खाते में होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2007 बहाल रखा जावे ।

15. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि अपीलान्ट के खिलाफ फौजदारी प्रकरण में जो निर्णय पारित किया गया है उसमें अपीलीय न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है और फौजदारी प्रकरण में पारित निर्णय से सिविल न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित नहीं होती है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

16. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 07 तनकीयात कायम की हैं जो कि निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 और 3 पर अंकित है परन्तु विवेचना सिर्फ तनकी नम्बर 1, 2 और 3 की की है । तनकी नम्बर 4 लगायत 7 की विवेचना नहीं की है जो कि सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 के अनुसार आवश्यक है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत नजीर डीएनजे 2009 (एससी) पेज 1069 और एसएआर सिविल (एससी) पेज 522 यहॉ चस्पा होती है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.01.2007 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी का पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विवेचना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.05.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा